न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 72/2014

वादीया :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. रामुदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि सोहनलाल जाति-नट निवासी-जैतारण जिला-पाली

1. चम्पालाल पुत्र शंकरलाल
2. भंवरू पुत्र शंकरलाल
3. कैलाश पुत्र शंकरलाल
   जातियान-नट निवासीगण-फूलगाल तहसील-जैतारण जिला-पाली
4. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू.11.03.2014

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री अरूणसिंह व महेन्द्रसिंह बारहठ, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/06/2015

वकील वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् पेश किया कि सरहद गौजा-फूलगाल, तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन ख0नं0 121 रकबा 14 बीघा किस्म बा0दो0 आई हुई हैं। जिसमें वादी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि मे वादीया का 1/4 वां हिस्सा आता हैं व इसी हिस्से अनुसार वादी काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन प्रत्येक का भी 1/4 हिस्सा हैं व इसी मापिक उक्त पक्षकारान काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती हैं, जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। उक्त विवादित भूमि की वर्तमान में कीमतें बढ गई हैं। इसी वजह से प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन की नियत अब खराब हो गई हैं। मौके पर आराजी वादी व प्रतिवादीगण के बीच अलग अलग बंटी हुई हैं। लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी संयुक्त व शामलाती हैं। इस वजह से वादीया अपने हक हिस्से की आराजी का भूमि रूपान्तरण नहीं करवा पा रहा हैं। वादीया ने प्रतिवादीगण से भी आराजी का बंटवाडा कराने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ऐसा बंटवाडा कराने से टालमटोल कर रहे हैं तथा दिनांक 10/02/2014 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने इस आराजी का बंटवाडा कराने से भी स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। जबकि वादी अपने हक हिस्से की आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा कराने का कानूनी रूप से अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी का बिना बंटवाडा कराये ही इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी केता को बेचान कर इस भूमि के बहुमूल्य व उपयोगी स्थल का कब्जा भी अजनबी केता को सौप देना चाह रहे है। साथ ही वादी को उसके हक हिस्से की भूमि में आवागमन करने में बाधा व अडचन भी पैदा कर रहा हैं। प्रतिवादीगण की नियतबद है एवं वादी के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। इस भूमि के विशिष्ट भू भाग को बेचान कर अजनबी केता को सौप देना चाह रहे हैं, इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रहे है। जिसके कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण जबरदस्ती बाधा व अडचन पैदा कर रहे हैं तथा वादीया को उसकी आराजी में प्रवेश करने से भी रास्ते में व्यवधान डालकर रास्ते रोक रहे हैं। प्रतिवादीगण वादीया व गांव के गौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। तब ऐसी विषम परिस्थितियों मे यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर वादीया को बेदखल कर शामलाती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो वादी को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगी। वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों व निर्माण कार्य का विरोध करेगी, जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों मे वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 4 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाडा के वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं परन्तु वादी का अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र बिना अनुमति लेकर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी का प्रस्तुत हैं। बिनायवाद दिनांक 10/02/2014 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा कराने से स्पष्ट इन्कार करने पर शामलाती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने व वादी द्वारा बेचान कर देने की धमकी देने पर बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण जिला–पाली में उत्पन्न होता हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 4 को बावजूद सूचना / तामिली बार–बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 05/06/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री अरूणसिंह व महेन्द्रसिंह बारहठ, अधिवक्तागण ने वकालतनामा दिनांक 05/06/14 को पेश किया, सामिल मिसल हैं। अधिवक्तागण को अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा दिनांक 26/03/2015 को बन्द किया जाता हैं। शहादत वादी पी0डब्ल्यू0–1 समुदेवी का दिनांक 26/03/2015 को तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश हुआ, सा0मि0 किया गया। मुख्य परीक्षण करवाया जाकर दस्तावेजात Exp–1 जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 व Exp–2ए पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 23/01/2013 को प्रदर्शित करवाया गया, सा0मि0 हैं। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड उक्त विवादित भूमि में वादी अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार होना बखूबी प्रमाणित होने से प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी होने से माफिक दावा बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र, दस्तावेजात एवं शहादत वादी पी0डब्ल्यू0–1 के तस्दीक सुदा शपथ–पत्रादि गहनता से अध्ययन कर बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी अपने हिस्से की खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–फूलमाल–प्रथम, तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन ख0नं0 121 रकबा 14 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2015/243 दिनांक 09/04/2015 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण प्राथमिक डिक्री की पालना की जाकर फर्द मौका दिनांक 02/06/2015 जरिए पत्रांक/भू0अ0/केम्प/15/397 दिनांक 03/06/2015 द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की अर्थात् सहमति व्यक्त की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/15 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–फूलमाल तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन ख0नं0 121 रकबा 14 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	समुदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि सोहनलाल कौम–नट सा0 देह खातेदार।	121/3	3-10-00	बा0दो0	1.08 रू.
2	चम्पालाल भंवरू कैलाश पि0 शंकरलाल कौम–नट सा0 देह खातेदार।	121	10-10-00	बा0दो0	3.26 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–फूलमाल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीया :-

1. समुदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि सोहनलाल जाति-नट निवासी-जैतारण जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चम्पालाल पुत्र शंकरलाल
2. भंवरु पुत्र शंकरलाल
3. कैलाश पुत्र शंकरलाल जातियान-नट निवासीगण-फूलमाल तहसील-जैतारण जिला-पाली
4. तहसीलदार जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:72/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरु .....-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री अरूणसिंह व महेन्द्रसिंह बारहठ, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/2015 डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-फूलमाल तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन ख0नं0 121 रकबा 14 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	समुदेवी पुत्री शंकरलाल पत्नि सोहनलाल कौम-नट सा0 देह खातेदार।	121/3	3-10-00	बा0दो0	1.08 रू.
2	चम्पालाल भंवरु कैलाश पि0 शंकरलाल कौम-नट सा0 देह खातेदार।	121	10-10-00	बा0दो0	3.26 रू.

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-:....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	2=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	2=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बावत ईजराय हुक्मनामा	
बावत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः–	7=00	मिजानः–	2=00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
रैनावास (पाली)